दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 10 अक्टूबर, 2023
उद्घोषित: 2 अप्रैल, 2024

<u>वैवा.अ.(कु.न्या.) 153/2022 एवं सि.वि.आ. 42112/2022</u>

डॉ. विकास गुप्ता ..... अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री गीता लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री कामाक्षी गुप्ता एवं श्री मानस अग्रवाल, अधिवक्तागण

बनाम

डॉ. रजनी गुप्ता .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री रीना जैन मल्होत्रा, अधिवक्ता

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>नीना बंसल कृष्णा, न्या.</u>

विवाह, जिसे एकजुटता का सार माना जाता है, आपसी सहयोग, समर्पण एवं निष्ठा की उपजाऊ भूमि पर फलता-फूलता है। हालाँकि, बार-बार अलग होने की घटनाएँ, एक अथक तूफान की तरह, केवल इस नींव को उखाड़ देती हैं, कलह

के बीज बिखेरती हैं जो बंधन की पवित्रता को खतरे में डालती हैं। दूरी और अभित्यजन के तूफ़ान के बीच, ये बंधन क्षतिपूर्ति से परे क्षतिग्रस्त हो जाता है, तथा विश्वास एवं प्रतिबद्धता के परिदृश्य पर अपूरणीय घाव छोड़ जाता है।

1. विद्वान प्रधान कुटुम्ब न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 11.04.2022 के निर्णय के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 के तहत यह याचिका दायर की है जिसमें हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(छ-क) एवं 13(1)(छ-ख) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एच.एम.ए. सं. 166/2017 के तहत विवाह-विच्छेद की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता, जो एक योग्य एमबीबीएस डॉक्टर थे, ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार दिनांक 22.02.1992 को प्रत्यर्थी से विवाह किया, जोकि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी थी। उन्हें दिनांक 09.05.1994 को एक बेटी तथा दिनांक 11.12.2002 को एक बेटे हुआ। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता तथा प्रत्यर्थी की जीवन कहानी लगभग 19 वर्षों तक चली, अब वे अंततः दिनांक 10.06.2011 को अलग हो गए।

3. अनिवार्य रूप से, तथ्य विवादित नहीं हैं, हालांकि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता तथा प्रत्यर्थी दोनों ने प्रत्येक घटना को अपने-अपने दृष्टिकोण से देखा है। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि प्रत्यर्थी का स्वभाव असंयमी एवं अस्थिर था, जिसने अपीलार्थी/याचिकाकर्ता पर बहुत अधिक क्रूरता की और कम

से कम सात मौकों पर उसे छोड़ दिया, जिसमें दिनांक 10.06.2011 को आखिरी तथा अंतिम अभित्यजन भी शामिल है। इस तथ्य को प्रत्यर्थी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, हालांकि उसके पास प्रत्येक मौकों के लिये अपना स्वयं का स्पष्टीकरण था, जब उसने वैवाहिक घर छोड़ा था।

4. यह दावा किया गया है कि उनके विवाह के दिन से ही अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को यह बताया गया था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती है। अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों ने झूठा दावा करना शुरू कर दिया कि अपीलार्थी/याचिकाकर्ता का हनीमून पर जाने का कोई इरादा नहीं था। जब वे दिनांक 25.02.1992 से दिनांक 05.03.1992 तक गोवा जाने वाले थे, तो याचिकाकर्ता के पिता को दिल का दौरा पड़ा तथा उन्हें एक दिन पहले अर्थात् दिनांक 24.02.1992 को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जिसके कारण हनीमून रद्द करना पड़ा।

5. जबकि प्रत्यर्थी ने ससुर की बीमारी या उनकी यात्रा रद्द होने से इनकार नहीं किया, लेकिन उसने यह दावा किया था कि गोवा यात्रा के लिए पैसे उसके पिता द्वारा दिए गए थे और विडंबना यह है कि टिकटों के रिफंड से, जिसकी सुविधा भी उसके पिता द्वारा दी गई थी, याचिकाकर्ता के पिता ने पैसे वापस करने के बजाय एक काइनेटिक होंडा स्कूटर खरीद लिया।

6. याचिकाकर्ता/अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि शादी के तुरंत बाद, उसे दीपक मेमोरियल अस्पताल में नौकरी मिल गई, जहाँ उसे विधिवत योग्य सर्जन होने के नाते 2,100/- रुपये प्रति माह मिल रहे थे, लेकिन प्रत्यर्थी को अधिक वेतन मिलता था, जिसके कारण उसे अपमानित किया गया तथा परिवार में अफ़वाहें फैलाई गईं कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी से कम शिक्षित है। दूसरी ओर प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि दोनों समान रूप से योग्य थे एवं अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के वेतन में कथित वित्तीय असमानता से परिवार के असंतुष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं था।

7. अपीलार्थी ने यह भी दावा किया था कि मार्च 1992 में प्रत्यर्थी के पिता ने अपीलार्थी के पिता को यह बताने के लिए बुलाया था कि उनकी बेटी अपना वेतन साझा नहीं करेगी तथा इसे पक्षकारों के घरेलू खर्चों को साझा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सांझी निधि में नहीं डाला जाएगा। उन्होंने यह भी धमकी दी कि परिवार को इस स्थिति को स्वीकार करना होगा अन्यथा परिवार को झूठे दहेज के मामलों में फंसाया जाएगा। पक्षकारों के वेतन के बंटवारे के संबंध में, प्रत्यर्थी ने दावा किया है, जिसे अंततः याचिकाकर्ता ने अस्वीकार नहीं किया है कि शादी के तुरंत बाद, पक्षकारों का एक संयुक्त खाता खोला गया था एवं दोनों एक ही खाते में अपना वेतन जमा करेंगे। यह उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है जिसमें प्रत्यर्थी के पिता ने याचिकाकर्ता के पिता को

दोनों पक्षकारों द्वारा वेतन साझा करने के विरूद्ध चेतावनी देने के लिए बुलाया था।

8. यह भी दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी के परिवार द्वारा उनके घरेलू निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता था, जिसके कारण दोनों पक्षकारों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और जब अपीलार्थी ने उसे इस हस्तक्षेप को कम करने के लिए मनाने की कोशिश की, तो प्रत्यर्थी और उसके परिवार ने उसकी आलोचना की। अस्पताल से लौटने पर, अपीलार्थी ने अक्सर प्रत्यर्थी को या तो फोन पर या घर पर नहीं पाया। अपीलार्थी ने दावा किया था कि एक सर्जन होने के नाते, वह अपना दिन सुबह जल्दी अस्पताल के लिए शुरू करता था और उसे एक नियमित जीवन जीना पड़ता था। हालाँकि, प्रत्यर्थी को उम्मीद थी कि अपीलार्थी उसके परिवार और उसके विस्तारित परिवार के सभी छोटे और बड़े समारोहों में शामिल होगी, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के पेशेवर कार्यक्रम में व्यवधान आया और उसे कार्यस्थल पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मई, 1992 में एक अवसर पर, प्रत्यर्थी अपने चचेरे भाई, अर्थात्, श्री नरेश, की शादी पर याचिकाकर्ता के परिवार द्वारा दिये गये *शगुन* की राशि से नाखुश हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि उसके चचेरे भाई श्री नरेश ने हस्तक्षेप किया और अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को अपहरण और हत्या करके सबक सिखाने की धमकी दी।

9. उन्होंने आगे दावा किया कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के प्रति कोई सम्मान नहीं था, जो अपने भाइयों एवं परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपीलार्थी/याचिकाकर्ता का मज़ाक उड़ाती थी और चिकित्सा के पेशे को नीचा दिखाती थी तथा दावा करती थी कि डॉक्टर हमेशा गरीब होते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे सभी व्यवसायी थे, जिन्होंने करोड़ों रुपये कमाने का दावा करते थे, जबकि अपीलार्थी को एक कंगाल कहते थे, जो कभी भी ऐसी वित्तीय सफलता हासिल नहीं कर पाएगा।

10. अपीलार्थी ने दावा किया था कि प्रत्यर्थी कभी भी वित्तीय बोझ को साझा नहीं करना चाहती थी। हर बार जब उसे पैसोेेें की आवश्यक्ता होती थी, तो वह वित्तीय संकट द्वारा निपटने में उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आती थी। ऐसा ही एक उदाहरण था जब उसे फरवरी, 2009 में अपनी फेलोशिप के लिए ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड जाना था, तो उनके पास पैसे की कमी थी, लेकिन प्रत्यर्थी ने उनकी मदद नहीं की थी। अपीलार्थी ने आगे कहा कि जब पक्षकार अलग हो गए, तो उसने रुपये वापस करने का दावा किया। 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये, जो उसने कथित तौर पर कपड़े आदि खरीदने पर खर्च किए थे। प्रत्यर्थी ने यह भी दावा किया है और स्वीकार किया है कि ज्यूरिख जाने से पहले उसने अपीलार्थी के लिए ज्यूरिख में रहने के लिए कपड़े एवं अन्य सामान खरीदने पर 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक खर्च किए थे।

11. अपीलार्थी ने दावा किया है कि वह वित्तीय मामलों में भारी उलझाव के कारण प्रत्यर्थी को अपने साथ नहीं ले जा सका, जिस पर अपीलार्थी द्वारा उसे नियमित रूप से कोसा जाता था, जिसने टेलीफोन पर भयंकर बहस और झगड़े का अभियान शुरू कर दिया था, जिससे उसे अपनी फेलोशिप प्राप्त करने में बहुत परेशानी और पीड़ा हुई। जून, 2009 में, उन्हें ज्यूरिख न बुलाने में अपनी असमर्थता की भरपाई करने के लिए, उसने प्रत्यर्थी और दोनों बच्चों के साथ सिंगापुर की दो सप्ताह की यात्रा की व्यवस्था की।

12. प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि सिंगापुर की यात्रा जून 2009 में आयोजित की गई थी, लेकिन उसने दावा किया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसका रिश्तेदार सिंगापुर में रहता था और उन सभी को उनके घर में रहना था।

13. अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि लगातार ध्यान भटकाने की वजह से उसे जुलाई, 2009 में भारत वापस लौटना पड़ा, जिससे उसकी फेलोशिप अधूरी रह गई। प्रत्यर्थी ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि अपीलार्थी आखिरकार ज्यूरिख लौटने में सफल रहा तथा उसने अगस्त, 2009 में अपनी फेलोशिप पूरी कर ली थी।

14. अपीलार्थी ने दावा किया है कि प्रत्यर्थी का व्यवहार हमेशा अनियमित रहा है एवं उनके 19 साल के विवाहित जीवन में कम से कम छह बार ऐसे मौके आए जब उसने अपीलार्थी का साथ छोड़ दिया तथा अंततः दिनांक 10.06.2011 को वैवाहिक घर छोड़ दिया।

15. प्रत्यर्थी द्वारा ***पहला पृथक्करण*** अक्टूबर/नवंबर 1992 में हुआ था। अपीलार्थी ने दावा किया कि सभी प्रमुख त्यौहारों पर, वे दोनों पक्षकारों के बीच बहुत बड़े विवाद हुआ करते थे। वर्ष 1992 में दिवाली के बाद, उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ क्योंकि प्रत्यर्थी अपने भाई-बहनों को दिए गए उपहारों से संतुष्ट नहीं थी। बाद में, उसने गुस्से में अपनी बड़ी बहन सुश्री पूनम को फोन किया, जो उनके घर आई तथा मामले को बढ़ा-चढ़ाकर बताया; बाद में उसने याचिकाकर्ता के घर के बाहर सड़क पर धरना दिया जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। प्रत्यर्थी अपनी बहन के साथ यह कहकर वैवाहिक घर से चली गई कि वह कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार, अपीलार्थी की बहन डॉक्टर उपासना के हस्तक्षेप पर, प्रत्यर्थी दिनांक 25.12.1992 को वापस लौट आई।

16. प्रत्यर्थी ने इस पृथक्करण अवधि से इनकार नहीं किया है, बल्कि उसने कहा है कि अपीलार्थी का प्रत्यर्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के प्रति उदासीन रवैया था तथा वह हमेशा किसी भी पारिवारिक समारोह में शामिल होने से इनकार करता था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी उसे उपहार खरीदने के लिए पैसे देने में अनिच्छुक था तथा उसे ऐसे अवसरों पर दिए जाने वाले छोटे-मोटे उपहारों के लिए भी अपने माता-पिता से पैसे का प्रबंध करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपने बयान में, उसने बताया है कि दिवाली पर उसे अपनी ननद को उपहार देने की आशा रखती थी तथा ऐसा न करने पर, अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों ने उसे अपमानित किया। इसके अतिरिक्त, यह

उसकी सास ही थी जो कई अवसरों पर प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त सभी उपहारों को रख लेती थी तथा उन उपहारों के लिये उसे भीख मांगनी पड़ती थी, जिसे प्रत्यर्थी ने अनुचित एवं अपमानजनक पाया। उसने आगे बताया कि उसे अपीलार्थी ने दिसंबर 1992 के अंतिम सप्ताह में बिना किसी कारण के उसके पैतृक घर छोड़ दिया था तथा परिवार के सदस्यों और उसकी ननद डॉ. उपासना के हस्तक्षेप के कारण, कई सुलह बैठकें आयोजित करके मामले को सुलझाया गया था, जिसके बाद वह अपने वैवाहिक घर वापस आ गई।

17. ***दूसरा पृथक्करण*** मार्च, 1994 में हुआ, जब प्रत्यर्थी अपने पहले बच्चे से गर्भवती थी। वह अपीलार्थी को छोड़कर पढ़ाई और गर्भावस्था के अंतिम चरण में होने के बहाने माता-पिता के साथ रहने चली गई। बाद में, अपीलार्थी के बार-बार आने और अनुरोध करने के बावजूद, उसने घर लौटने से इनकार कर दिया, तथा प्रत्यर्थी का परिवार अपीलार्थी और उसकी माँ के बारे में शिकायत करता रहा। अपीलार्थी के अनुसार, दिनांक 02.05.1994 को उसे एक प्रैंक कॉल किया गया, जिसमें उसे बताया गया कि बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन जब वह परिवार के सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंचा, तो वहा उसे कोई भी मौजूद नहीं मिला। यह कृत्य केवल अपीलार्थी को प्रताड़ित करने के लिए किया गया था।

18. इसके बाद, एक सप्ताह बाद, दिनांक 09.05.1994 को बेटी का जन्म हुआ तथा अपीलार्थी उसे वैवाहिक घर वापस जाने के लिए विनती करने अस्पताल गया, लेकिन उसे तीन महीने तक अपनी बेटी को छूने की भी अनुमति नहीं दी

गई, इस दौरान, प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के घर में रही, जबकि उसे बेटी को देखने की भी अनुमति नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा सुलह के प्रयास किए गए तथा अंततः प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा वैवाहिक घर वापस लौटने के लिए राजी कर लिया गया। माता-पिता ने शांति के लिए और प्रत्यर्थी को वैवाहिक घर में वापस लाने हेतु माफी भी मांगी थी। वह अंततः दिनांक 06.07.1994 को बेटी के साथ वैवाहिक घर वापस आ गई।

19. प्रत्यर्थी ने इस दूसरे पृथक्करण से इनकार नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि मार्च, 1994 में, बड़ी बेटी के जन्म से लगभग दो महीने पहले, अपीलार्थी ने झगड़ा शुरू कर दिया क्योंकि प्रत्यर्थी अपनी डीएनबी परीक्षा में बैठना चाहती थी, जो अपीलार्थी को पसंद नहीं था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपने करियर में आगे बढ़े। उसने प्रत्यर्थी को उसके पैतृक घर के बाहर छोड़ दिया जहाँ उसे अपने माता-पिता के लौटने और घर में आने के लिए घंटों इंतजार किया। हालांकि, उसने दावा किया है कि सूचित किए जाने के बावजूद, अपीलार्थी बेटी के जन्म पर अस्पताल में केवल 15 मिनट के लिए आया था और उसके बाद नहीं मिला, लेकिन उसने स्वीकार किया है कि उसकी परीक्षा के कारण, वह ठीक से पढ़ाई करने में सक्षम होने के लिए रुकी थी क्योंकि अपीलार्थी के घर का माहौल विरोधात्मक था और उसके पढ़ने के अनुकूल नहीं था। उसने स्वीकार किया है कि अंततः अगस्त, 1994 में, अर्थात् लगभग छह महीने बाद, वह अपने वैवाहिक घर वापस लौट आई, हालांकि उसके अनुसार,

यह केवल उसके परिवार के प्रयासों के कारण ही संभव हो सका कि वह अपीलार्थी के पास पुनः आ सकी।

20. ***पृथक्करण की तीसरी घटना*** वर्ष 1997 में हुई, जब प्रत्यर्थी अपने भाई की शादी के अवसर पर घर से चली गई। पृथक्करण की इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी ने दावा किया कि प्रत्यर्थी के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ उनके घर में घुस आए और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों की छवि को खराब करने और बर्बाद करने के उद्देश्य से बेबुनियाद आरोप लगाए। अपीलार्थी के अनुसार, उसने एक शर्त रखी कि वह तभी वापस आएगी जब उसके लिए अलग आवास की व्यवस्था की जाएगी तथा अपीलार्थी ने अपने माता-पिता के घर फिर से न जाने का भी वचन दिया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की वैवाहिक घर में वापसी की सुविधा के लिए गीतांजली अपार्टमेंट, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली में किराए पर एक फ्लैट की व्यवस्था की, लेकिन उसके अनुसार, प्रत्यर्थी ने वापस लौटने से इनकार कर दिया क्योंकि वह यह आश्वासन नहीं दे पाया कि वह अपने माता-पिता से मिलने नहीं जाएगा। ये कृत्य याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य एवं करियर के लिए हानिकारक हो गए।

21. हालांकि, प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि यह उसके संज्ञान में नहीं है कि अपीलार्थी ने गीतांजलि अपार्टमेंट में एक फ्लैट की व्यवस्था की थी क्योंकि उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया गया था। कई महीनों के पृथक्करण के बाद तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के परिवार के बीच सुलह बैठकों के कारण, वह

वैवाहिक घर लौट आई। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को झूठा आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन हर बार, वादा तोड़ा गया तथा उसे अपमानित जीवन जीना पड़ा।

22. अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी ने ***उसे चौथी बार*** दिसंबर, 1999 में ***छोड़ दिया,*** जब अपीलार्थी को जालंधर, पंजाब में एक अच्छी नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उसका झुकाव शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की ओर था तथा वह नौकरी करने के लिए इच्छुक नहीं था। प्रत्यर्थी को लगा कि यह एक बेहतर करियर संभावना थी और वह इस बात पर अड़ गयी कि अपीलार्थी को नौकरी करनी चाहिए। पक्षकारों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए तथा प्रत्यर्थी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया। जाते समय, उसने अपीलार्थी के पिता को "सफ़ेदपोश के कपड़ों में डकैत" कहकर गाली दी, जिस कारण यह बात उनके गले से ना उतर सकी क्योंकि वह समाज में एक सम्मानित डॉक्टर एवं परिवार के वरिष्ठ थे। प्रत्यर्थी गुस्से में चला गयी जिसके तुरंत बाद अपीलार्थी के पिता को दिल का दौरा पड़ा तथा उन्हें जी.बी. पंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। अपीलार्थी ने दावा किया है कि वह अस्पताल में उनसे मिलने तक नहीं गई।

23. प्रत्यर्थी ने पंजाब में अपीलार्थी के नौकरी के अवसर और उसे लेने के लिए उसकी अनिच्छा के बारे में स्वीकार किया है। हालाँकि, उसने दावा किया कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के उसके निर्णय पर सवाल नहीं

उठाया। उसने दावा किया कि अपीलार्थी अपनी माँ के भड़काने पर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था तथा हर बार उसे अपने माता-पिता के घर वापस जाने के लिए कहा जाता था क्योंकि वैवाहिक घर उसका अपना नहीं था। उसने स्वीकार किया कि ऐसे ही एक अवसर पर, उसे उसकी बेटी के साथ उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया था, जहाँ वह कई महीनों तक रही। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी के पिता ने जी.बी. पंत अस्पताल में एंजियोप्लास्टी करवाई थी, लेकिन उसने दावा किया कि इसके बारे में पता चलने पर, वह अपने माता-पिता के साथ अस्पताल गई और प्रक्रिया के दौरान पूरे समय वहीं रही और ससुर की हालत ठीक होने के बाद ही वापस लौटी। यह दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। पृथक्करण की इस अवधि को भी प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है।

24. ***पृथक्करण की पांचवीं घटना*** जून, 2006 में हुई। अपीलार्थी ने दावा किया है कि प्रत्यर्थी ने अपने पिता की सलाह पर, जो एक स्वयं ज्योतिषी और *वास्तु* विशेषज्ञ थे, ने दो शौचालयों को गिराने पर जोर दिया। अपीलार्थी ने उसके सुझाव का विरोध किया क्योंकि घर में केवल तीन शौचालय थे तथा दो को गिराने से बहुत असुविधा होती। कई हफ़्तों तक चली बहस के बाद, उसने जून, 2006 से 04.03.2007 तक अर्थात् लगभग दस महीनों के लिए वैवाहिक घर छोड़ दिया।

25. प्रत्यर्थी ने पृथक्करण की इस अवधि को स्वीकार किया है, हालांकि उसने दावा किया है कि अपीलार्थी ने अपनी मां के कहने पर उसे उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया था, उसके साथ बहुत झगड़ा किया तथा उसे बुरी तरह पीटा। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा अपीलार्थी ने डॉक्टर संजय चुघ के साथ परामर्श सत्र की व्यवस्था की, जिसमें दोनों पक्षकारों ने भाग लिया। उसने आगे स्वीकार किया कि वह अंततः नौ महीने के पृथक्करण के बाद घर वापस आ गई।

26. पुनः, ***छठी बार***, फरवरी, 2011 में, यह विवाद हुआ क्योंकि अपीलार्थी के अनुसार, जब बेटी ने प्रत्यर्थी से रात में देर से आने के लिए सवाल किया, क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, तो प्रत्यर्थी गुस्से में आ गई और उससे कहा कि उसे अपने काम से मतलब रख। उसी दिन, रात को 8:00 बजे, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से एक घबराहट भरा फोन आया कि वह अपनी जान लेने जा रही है एवं उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। अपीलार्थी बहुत घबरा गया क्योंकि उसका मोबाइल फोन बंद था तथा उसके परिवार के सदस्यों को उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घबराहट की हालत में, वह पुलिस स्टेशन विवेक विहार, दिल्ली गया तथा आखिरकार उसे नशे की हालत में सूरजमल विहार, सार्वजनिक पार्क में अपनी कार में सोते हुए पाया गया।

27. इस घटना को प्रत्यर्थी ने पुनः स्वीकार किया है, जिसने कहा था कि शुरू से ही अपनी शादी को बचाने के उसके सारे प्रयास बेकार हो गए थे और वह

अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी तथा वह अकेले शादी का बोझ नहीं उठा सकती थी जैसे कि बच्चों की बीमारी के दौरान उनकी देखभाल, उनकी शिक्षा और रिश्तेदारों की अंतहीन भीड़ का बोझ झेलना, अस्पताल में अपनी थकाऊ ड्यूटी के अलावा अपमान, गाली-गलौज एवं शारीरिक हिंसा तथा अपीलार्थी से लंबे समय तक पृथक्करण को सहना था। वह अवसाद में जा रही थी तथा शादी के लगभग 20 साल बाद इस असहनीय क्षण में, जब वह इसे और सहन करने में असमर्थ थी, उसने पार्क में जाकर कुछ समय के लिए अलग बैठने का निर्णय लिया तथा केवल उसे गलत साबित करने के लिए अपीलार्थी ने हंगामा किया एवं पुलिस को बुलाया। वह हमेशा ऐसी परिस्थितियों की तलाश में रहता था, जहाँ वह प्रत्यर्थी को नीचा दिखा सके, भले ही वह अपनी शादी को बचाने के लिए सभी प्रयास कर रही हो।

28. अपीलार्थी के अनुसार, उनके वैवाहिक संबंध में ***अंतिम पृथक्करण*** दिनांक 10.06.2011 को हुआ, जब प्रत्यर्थी अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में, जो वृंदावन गए थे तथा अपीलार्थी अस्पताल में था, उसने आखिरकार बिना किसी कारण एवं सूचना के उसे छोड़ दिया। जब अपीलार्थी अपनी सर्जरी कर रहा था, तो उसे लगभग 3:00 बजे प्रत्यर्थी से एक घबराहट भरा फोन आया, जिसमें उसने जोर देकर कहा कि उसे तुरंत घर वापस लौट आओ; अपनी सर्जरी छोड़कर, वह वापस घर आया तथा पाया कि प्रत्यर्थी ने तीन टेम्पो वाहन बुलाए थे तथा अपना सारा सामान पैक कर लिया था और अपने भाई, बहन और

उनके बच्चों के साथ शानदार दोपहर का भोजन करने के बाद बैठी थी, जबकि बच्चे टीवी संगीत पर नाच रहे थे। उसने अपीलार्थी को सूचित किया कि वह आखिरकार वैवाहिक घर छोड़ रही है तथा फिर उसने अपीलार्थी के लिए अंतिम संस्कार की रस्में रसोई में आयोजित कीं, जिसमें कहा गया कि वह उसके लिए मर चुका है। उसने उसके हाथ पर राखी भी बांधी तथा कहा कि अब से वह उसके लिए भाई जैसा है एवं उसे कभी भी प्रत्यर्थी को छूने से मना किया। इन अजीबोगरीब रस्मों को निभाने के बाद, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ वैवाहिक घर छोड़कर चली गई।

29. प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अंततः दिनांक 10.06.2011 को वैवाहिक घर छोड़ दिया। हालाँकि, उसने दावा किया कि उक्त तिथि को जो कुछ भी हुआ, वह अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्व-योजना का परिणाम था। उसके माता-पिता जानबूझकर अल्पवयस्क बेटे के साथ फरीदाबाद में सास के भाई के घर चले गए, ताकि उन पर घटनाओं के लिए आरोप न लगाया जा सके। यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी ने अपने भाई, बहन तथा भाभी को यह अनुमान लगाते हुए बुलाया था कि उसके एवं अपीलार्थी के बीच कुछ समस्या हो सकती है। जब वह दोपहर में वापस आया, तो उसने उसके परिवार के सदस्यों से कई शिकायतें कीं तथा उन सभी के खिलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि उसने उसे बताया कि वह ब्रह्मचर्य का जीवन जीना

चाहता है तथा उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने यह भी कहा कि उसके पास बाहर बेहतर विकल्प हैं। प्रत्यर्थी के अनुसार, उसे वैवाहिक घर छोड़ने की धमकी दी गई थी अन्यथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह वहाँ रहना जारी न रख सके। उसने दावा किया कि उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया तथा उसे अपनी बेटी को भी छोड़ना पड़ा जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, क्योंकि उसका स्कूल पास में ही था। यह निश्चित रूप से आखिरी दिन था जब प्रत्यर्थी ने ससुराल छोड़ा था।

30. अपीलार्थी ने आगे दावा किया है कि प्रत्यर्थी ने न केवल वैवाहिक घर को छोड़ दिया, बल्कि बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, जो प्रत्यर्थी के असाधारण व्यवहार के कारण बहुत पीड़ित थे। बेटी अपनी एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जबकि बेटा 8 साल का था। प्रत्यर्थी के कृत्य न केवल अपीलार्थी के प्रति क्रूरता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हैं, जो प्रत्यर्थी के ऐसे कृत्यों और अविवेकपूर्ण आचरण से बहुत परेशान थे।

31. अपीलार्थी ने यह भी दावा किया है कि उसने दिसंबर, 2011 में मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। बेशक, दोनों पक्षकार ओबेरॉय मेडेंस, सिविल लाइंस, नई दिल्ली में मिले, लेकिन प्रत्यर्थी ने तलाक की अपना इरादा जाहिर किया। अपीलार्थी ने दावा किया है कि उसके बाद भी, उसने सुलह के कई प्रयास किए, लेकिन सभी को अपमानजनक तरीके से

खारिज कर दिया गया। जनवरी, 2012 में, दो मध्यस्थों से हस्तक्षेप की मांग की गई, लेकिन यह भी निष्फल साबित हुआ। इसके बाद, मई 2013 में, अपीलार्थी को रीढ़ की हड्डी में गंभीर विकार हुआ तथा उसे दो बार रीढ़ की सर्जरी करानी पड़ी, जिसके बावजूद प्रत्यर्थी ने उसके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति या देखभाल नहीं दिखाई।

32. हालांकि, प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि उसकी चिकित्सा स्थिति के बारे में पता चलने पर वह अस्पताल में थी एवं उसने पूरी देखभाल की थी, हालांकि उसने कहा कि उसे दूसरी सर्जरी के बारे में कभी पता नहीं चला।

33. सितंबर, 2013 में अशोक विहार के एक प्रमुख चिकित्सक डॉ. सीता राम अग्रवाल के माध्यम से सुलह के प्रयास भी किए गए, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाए। इस प्रकार, अपीलार्थी ने दावा किया था कि प्रत्यर्थी का आचरण उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां से वापसी संभव नहीं थी तथा इसने उसे बहुत शारीरिक, मानसिक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाई थी। साढ़े तीन साल के पृथक्करण और प्रत्यर्थी द्वारा उसे एवं बच्चों को छोड़ देने के बावजूद, वह सभी सुलह प्रयासों के बावजूद वापस लौटने में विफल रही।

34. अपीलार्थी ने क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद हेतु वर्तमान याचिका दायर की।

35. ***प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिक्रिया*** में इस बात से इनकार नहीं किया है कि बैठकें पुनःसुलह हेतु आयोजित की गई थीं, लेकिन यह दावा किया है कि वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि अपीलार्थी केवल विवाह-विच्छेद करने में तेजी लाने हेतु बैठकों की व्यवस्था कर रहा था तथा पक्षकारों के बीच कोई सफल पुनःसुलह नहीं हो सकी थी।

36. प्रत्यर्थी ने यह भी दावा किया था कि अपीलार्थी हमेशा अपनी माँ के कहने और सलाह पर काम करता था, जो उनके वैवाहिक जीवन के सभी मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती थी। उसने दावा किया कि अपीलार्थी के रिश्तेदार अक्सर उनके घर आते थे और यह सास ही थी, जो यह तय करती थी कि उनके घर में कौन और कितने समय तक रहेगा। जब भी वह ऐसे किसी निर्णय पर आपत्ति जताती, तो सास परिवार के सभी सदस्यों के सामने उसका अपमान करती तथा उसे गाली देती थी। इस सब में, अपीलार्थी ने उसके प्रति ठंडा रवैया बनाए रखा। उसने दावा किया कि उसकी शादी के समय या बाद में उसे जो भी उपहार मिले, सास ने उसे ले लिया, तथा उसे अपीलार्थी की बहन को दे दिया, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसने बाद में प्रत्यर्थी को मिले सभी उपहार भी ले लिए थे। सास के इस तरह के अपमानजनक आचरण के बावजूद, उसने फिर भी अनादर एवं अपमान सहा और वैवाहिक घर में बसने की कोशिश की।

37. प्रत्यर्थी ने यह भी आरोप लगाया कि अपीलार्थी की माँ तंत्र विद्या में विश्वास रखती थी जबकि ससुर *वास्तु* शास्त्र का पालन करते थे, जो कि तंत्र विद्या का ही एक और पहलू है। वर्ष 1993 में सास की अपीलार्थी के साथ बहस हुई थी तथा उसने अपीलार्थी को डराने के लिए कम से कम *बायगन* का सेवन किया कि वह आत्महत्या कर रही है; उसका ऐसा कार्य उसके स्वभाव और उसके उच्च अहंकार के कारण था। अपीलार्थी तुरंत अपने अस्पताल से लौट आया और सास को अस्पताल ले गया, जहाँ वह ठीक हो गई।

38. प्रत्यर्थी ने यह भी दावा किया कि अपीलार्थी की माँ को अपने बाल खींचने, अपनी छाती पीटने, दीवार पर अपना सिर पटकने की आदत थी, केवल अपीलार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा यह दिखाने के लिये की वह कितनी दुखी है। प्रत्यर्थी की गलती न होने के बावजूद, केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने तथा वैवाहिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रत्यर्थी ने माफ़ी मांगी। प्रत्यर्थी ने यह भी दावा किया कि उसे घर का सारा काम करने, बच्चों की अकेले देखभाल करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें अपीलार्थी की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। हालाँकि, वह अपनी समस्याओं को भूल गई और परिवार के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की; चाहे वह आगंतुकों की देखभाल करना हो या बच्चों एवं परिवार के सदस्यों की बीमारी का प्रबंधन करना हो। उसने जोर देकर कहा कि समय-समय पर उसके साथ

इस तरह के अत्याचार होने के बावजूद, उसने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की उम्मीद में यह सब झेला।

39. अभिवचनों के आधार पर, दिनांक 06.04.2018 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की, जो निम्नानुसार हैं: -

" (1) क्या अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के हाथों शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था? ओपीपी

(2) क्या लिखित कथन की प्रारंभिक आपत्तियों में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए विभिन्न विधिक दायित्वों के कारण याचिका पोषणीय है? ओपीआर

(3) क्या अपीलार्थी विवाह-विच्छेद की डिक्री का हकदार है, जिसके लिए प्रार्थना की गई है? ओपीपी

(4) अनुतोष"

40. ***अपीलार्थी ने अभि.सा.-1*** के रूप में स्वयं का ***परीक्षण किया है*** तथा आगे ***अभि.सा.-2*** डॉक्टर श्याम गुप्ता, उनके पिता, ***अभि.सा.-3*** श्री धर्मवीर गुप्ता, उनके मामा, ***अभि.सा.-4*** डॉ. नरेंद्र कुमार, मामा, ***अभि.सा.-5*** डॉ. संजीव जोशी और ***अभि.सा.-6*** डॉ. जे.एस. भोगल, उनके दोस्त और ***अभि.सा.-7*** डॉ. उपासना गुप्ता उनकी बहन का परीक्षण किया है। अपने दावों के समर्थन में, उन्होंने ***अभि.सा.-8*** डॉ. विमल कुमार नाकरा से भी दीपक मेमोरियल अस्पताल में उनकी मां के

इलाज के मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के लिए पूछताछ की। ***अभि.सा.-9*** श्री कपिल पंवार, फोर्टिस अस्पताल के उप प्रबंधक, अपीलार्थी के दिनांक 05.07.2004 से दिनांक 24.05.2012 तक के रोजगार रिकॉर्ड को लाने के लिए पूछताछ की। ***अभि.सा.-10*** श्री कुलदीप कुमार, जी.बी. पंत अस्पताल से दिनांक 13.05.1996 से दिनांक 05.05.1999 तक के रोजगार रिकॉर्ड को लेकर आए। ***अभि.सा.-11*** श्री विकास ने जून, 2016 में अपीलार्थी द्वारा किए गए उपचार हेतु फोर्टिस अस्पताल से उसकी डिस्चार्ज समरी पेश की। ***अभि.सा.-12*** श्री सुनील किमार ने मई एवं जून, 2013 के मैक्स अस्पताल, देहरादून की डिस्चार्ज समरी पेश की। मेसर्स मजेदार ट्रिप्स के एकमात्र मालिक ***अभि.सा.-13*** ने दिल्ली से जेनेवा एवं ज्यूरिख से दिल्ली वापस आने के टिकटों के रद्दीकरण के बिल पेश किए। ***अभि.सा.-14*** डॉ. अमित जिंदल ने सर गंगा राम अस्पताल में अपीलार्थी द्वारा किए गए उपचार के डिस्चार्ज समरी और बिल पेश किए। ***अभि.सा.-15*** यूडीसी, एम्स ने दिनांक 28.03.2001 को अपीलार्थी का सहायक प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के रूप में नियुक्ति पत्र पेश किया।

41. प्रत्यर्थी ने प्र.अभि.-1 के रूप में स्वयं का परीक्षण किया। अपने कथनों के समर्थन में उसने प्र.अभि.-2 श्री मनीष मित्तल, जो उसके भाई हैं, का भी परीक्षण किया।

42. **विद्वान कुटुम्ब न्यायाधीश** ने प्रत्येक घटना पर अलग-अलग विचार किया तथा उनका बारीकी से विश्लेषण किया, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी याचिका में लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी द्वारा कोई क्रूरता नहीं की गई थी तथा प्रत्यर्थी अभित्यजन के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि यह याचिकाकर्ता/अपीलार्थी था जिसका आचरण प्रत्यर्थी के वैवाहिक घर छोड़ने के लिए उचित कारण दिखाता है। तदनुसार, विवाह-विच्छेद याचिका खारिज की जाती है।

43. **विवाह-विच्छेद के इनकार से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता/अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।**

44. **प्रस्तुतियाँ सुनी एवं दर्ज की जाती हैं।**

45. पक्षकारों के जीवनकाल के चित्रपटल को लगभग 20 वर्षों की अवधि में असंख्य रंगों के साथ रंगा गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश, जो चित्र अंततः उभरकर सामने आया है वह उतना सुंदर/रमणीय/आकर्षक नहीं है जैसा कि दोनों पक्षकारों द्वारा तब अपेक्षित था जब वे वर्ष 1992 में विवाह के बंधन में बंधे थे। 20 वर्षों से अधिक के पक्षकारों की इस जीवनगाथा में, उतार-चढ़ाव आना तय था क्योंकि उन्होंने एक साथ अपने जीवन की यात्रा तय की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि दोनों पक्षकारों के अभिवचनों से सामने आया है, जो अनिवार्य रूप से चुनौती के अधीन नहीं हैं, दोनों सद्भाव से एक साथ चलने एवं अपने वैवाहिक सुख का आनंद लेने में असमर्थ थे।

<u>क्रूरताः</u>

46. मान लीजिए, लगभग 19 वर्षों की इस अवधि में, पक्षकारों के बीच मतभेद थे तथा पृथक्करण के सात कृत्य किये गये थे, जिनमें से प्रत्येक का समय लगभग 3 से 10 महीने का था, जो कुल मिलाकर लगभग 23-25 महीनों तक का समय है। पृथक्करण की प्रत्येक घटना जिसके कारण अलगाव हुआ है, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा इनकार नहीं किया गया है। ऊपरोक्त वर्णित प्रत्येक घटना का वर्णन प्रत्यर्थी के कुछ अनुचित रवैये को दर्शाता है।

47. ***पृथक्करण की पहली घटना (अक्टूबर/नवंबर 1992 - 25.12.1992)*** - अक्टूबर, नवंबर, 1992 में दो महीने के पृथक्करण की पहली घटना, दिवाली के अवसर पर प्रत्यर्थी के भाई-बहनों को पर्याप्त उपहार नहीं दिए जाने के बहाने हुई थी। जबकि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया लेकिन उसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाई थी।

48. ***पृथक्करण की दूसरी घटना (मार्च 1994 - 06.07.1994)*** - अलग होने की दूसरी घटना मार्च, 1994 में हुई, जब वह लगभग चार-पाँच महीने के लिए अलग हो गई। अपनी पहली गर्भावस्था के समय, उसने अपनी डी.एम.वी. परीक्षा की तैयारी के बहाने इस अवधि के लिए अपने माता-पिता के घर में रहने का निर्णय किया। पुनः, प्रत्यर्थी की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आया है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे वैवाहिक घर लौटने से क्या रोक

रहा था। उनके द्वारा एक अस्पष्ट अभिवाक् दायर किया गया कि अपीलार्थी के घर में माहौल प्रतिकूल था तथा अनुकूल नहीं था।

49. ***पृथक्करण की तीसरी घटना (कुछ महीनों के लिए दिसंबर 1997)*** - पृथक्करण की तीसरी घटना दिसंबर, 1997 में हुई थी। प्रत्यर्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है सिवाय इसके कि सास का अनुचित हस्तक्षेप था। उसने स्वीकार किया है कि पुनः सुलह बैठकें आयोजित की गई थीं तथा उसे पता चला कि अपीलार्थी ने गीतांजलि अपार्टमेंट में एक फ्लैट की व्यवस्था की थी। अपीलार्थी के अनुसार, वह केवल इसलिए फ्लैट की व्यवस्था करने हेतु मजबूर था क्योंकि प्रत्यर्थी को उसकी माँ के साथ समस्या थी तथा वह वैवाहिक घर में लौटने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ अपीलार्थी की माँ भी रह रही थी। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने कभी भी अलग निवास पर जोर दिया था, लेकिन यह तथ्य कि अपीलार्थी ने एक अलग निवास की व्यवस्था की थी, उसके इस दावे को विश्वास एवं सत्यता प्रदान करता है कि प्रत्यर्थी उसकी माँ से अलग आवास चाहती थी।

50. वास्तव में, प्रत्यर्थी ने अपने पूरे लिखित कथन में सभी कृत्यों के लिए अपनी सास को दोषी ठहराया है तथा यही उसका लगातार रुख रहा है कि सास पैसे छीन लेती थी या अपीलार्थी को उसके विरूद्ध उकसाती थी। उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि समय-समय पर, उसने वैवाहिक घर में अपनी असुविधा के कारण वैवाहिक घर छोड़ दिया था। प्रत्यर्थी किसी भी ठोस कारण की व्याख्या

करने में समर्थ नहीं है जिसके कारण वह अपनी गतिविधियों में दबी हुई, प्रताड़ित, घुटन या प्रतिबंधित महसूस करती है।

51. यह तथ्य कि प्रत्यर्थी सास से खुश नहीं थी, उसकी अपनी स्वीकारोक्ति से भी पता चलता है कि जब वह और अपीलार्थी तथा अपनी बेटी के साथ, जनवरी 1995 से मई 1995 तक संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, लखनऊ में तैनात थे, एवं वे वैवाहिक घर से दूर लखनऊ में उनका अपना स्वतंत्र निवास था, वे उसके जीवन के सबसे खुशी भरे दिन थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को सास के साथ वैवाहिक घर में रहना मुश्किल लगा एवं उसे यह महसूस हो रहा था कि सास बेटे को नियंत्रित कर रही थी तथा उनके दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी।

52. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण बचाव का व्यापक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि सास के साथ मतभेदों एवं समस्याओं के कारण प्रत्यर्थी को वैवाहिक घर में समायोजित होना आसान नहीं लगा, जिसके कारण उसे बार-बार वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा।

53. ***पृथक्करण की चौथी घटना (दिसंबर 1999 - मई 2000)*** - जब पक्षकार दिसंबर में, फिर से *पाँच महीने* के लिए अलग हो गए, विवाद अपीलार्थी के बारे में था कि वह जालंधर में एक आकर्षक नौकरी करने हेतु इच्छुक नहीं था, बल्कि दिल्ली में शिक्षा में अपना करियर जारी रखने के लिए था। एक बार

फिर, इस अवधि के दौरान वैवाहिक घर छोड़ने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आया है।

54. ***पृथक्करण की पाँचवीं घटना (जून 2006 - 04.03.2007)*** - पुनः, पक्षकार जून 2006 में *दस महीनों* के लिए अलग हो गए तथा स्पष्ट रूप से मुद्दा यह था कि प्रत्यर्थी दो शौचालयों को ध्वस्त करने में असमर्थ रही, जो उसके अनुसार *वास्तु* के अनुसार स्थित थे। अपीलार्थी के व्यवहार या उसकी माँ के उकसावे पर उसके कार्य की सामान्य शिकायत के अलावा प्रत्यर्थी से इस तरह के लंबे पृथक्करण हेतु कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिलता है।

55. ***पृथक्करण की छठी घटना (फरवरी 2011 कुछ महीनों के लिए)*** - इसी तरह, छठा पृथक्करण, प्रत्यर्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह घर के वातावरण के कारण दबी हुई एवं घुटन महसूस कर रही थी, जिसके कारण अवसाद की एक घटना हुई तथा वह कुछ समय अकेले बिताने के लिए पार्क गई। पुनः अपीलार्थी पर दोष लगाने के लिए कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि उसने प्रत्यर्थी के प्रति क्रूरता दिखाई थी।

56. ***पृथक्करण का अंतिम कृत्य (10.06.2011)*** - स्वीकार्य रूप से, प्रत्यर्थी ने दिनांक 10.06.2011 को छोड़ दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस दिन अपीलार्थी के माता-पिता घर पर नहीं थे तथा अपीलार्थी ड्यूटी पर अपने अस्पताल गया था। प्रत्यर्थी इस बात से भी इनकार नहीं करती है कि उसने अपने भाई, बहन एवं *भाभी* को अपने घर बुलाया था। भले ही वह

इस बात पर विवाद कर रही हो कि बच्चों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि वह स्वयं कहती है कि उसे किसी दुर्घटना की पहले से ही आशंका थी, जिसके कारण उसने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया, जिनके साथ वह चली गई थी। पुनः, उसकी स्वयं की स्वीकारोक्ति कि वह इस बिंदु पर पहुँच गई थी जब वह अंततः दिनांक 10.06.2011 को चली गई थी, इससे यह पता चलता है कि वह घर के वातावरण से खुश नहीं थी तथा घर छोड़ कर चली गई। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि उसने अपने दो बच्चों को अपीलार्थी के पास ही छोड़ दिया था।

57. अपीलार्थी की परिसाक्ष्य का उल्लेख करना उचित है, जिसने बयान दिया है कि उक्त तिथि पर, प्रत्यर्थी ने रसोई में अपना अंतिम संस्कार किया तथा उसे यह कहते हुए उसके हाथ पर "राखी" भी बांधी कि अब से वह उसके लिए एक भाई की तरह होगा तथा उसने पति एवं पत्नी के रिश्ते को छोड़ दिया। इसकी सत्यता का अनुमान प्रत्यर्थी के स्पष्टीकरण से लगाया जा सकता है कि अपीलार्थी ने बहुत समय पहले ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी तथा प्रत्यर्थी को यह भी बताया था कि अपीलार्थी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तथा बाहर बहुत से अवसर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी का स्पष्टीकरण फिर से उसकी अस्वीकृति एवं वैवाहिक संबंधों के अभित्यजन के बारे में बहुत कुछ बताता है।

58. सर्वोच्च न्यायालय ने *समर घोष बनाम जया घोष* (2007) 4 एससीसी 511 के मामले में यह देखा है कि लंबे समय तक लगातार पृथक्करण वैवाहिक

बंधन के अपूरणीय टूटने का कारण बन सकता है, जो मानसिक क्रूरता का गठन करता है तथा सहवास एवं वैवाहिक संबंधों की समाप्ति या आभाव अत्यधिक क्रूरता का कार्य है।

59. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सार-संग्रह अपीलार्थी की ओर से क्रूरता के किसी भी कृत्य को सामने नहीं लाता है; बल्कि संपूर्ण साक्ष्य यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी अपनी मां के आचरण से असंतुष्ट, दुखी थी, जिसके कारण वह वैवाहिक घर में इतनी दुखी हो गई थी कि उसे घर में स्वतंत्रता का आभाव, नियंत्रण एवं सम्मान की कमी महसूस हुई तथा उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया। यह एक स्पष्ट मामला है कि बिना अपीलार्थी की ओर से कोई कृत्य या गलती किए बिना प्रत्यर्थी ने समय-समय पर वैवाहिक घर छोड़ दिया। प्रत्यर्थी द्वारा समय-समय पर इस तरह की वापसी मानसिक क्रूरता के कृत्य हैं, जिसके लिए अपीलार्थी को बिना किसी कारण या औचित्य के अधीन किया गया था।

60. विद्वान परिवार न्यायाधीश ने प्रत्येक घटना को व्यक्तिगत रूप से तथा अलग-अलग विच्छेदित किया है लेकिन जीवन पृथक घटनाओं से बना नहीं है। प्रत्येक दिन का अनुभव अगले दिन तक बढ़ जाता है और वैवाहिक संबंधों की पूरी अवधि को समग्र रूप से माना जाना चाहिए। क्रूरता के उदाहरणों को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि साक्ष्य से उभरने वाले तथ्यों एवं परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि उचित निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या एक जीवनसाथी को दूसरे जीवनसाथी के

आचरण के कारण मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था, जैसा कि *परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता* (2002) 5 एससीसी 706 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था। *समर घोष बनाम जया घोष*, (2007) 4 एससीसी 511 तथा *गुरबक्स सिंह बनाम हरमिंदर कौर*, (2010) 14 एससीसी 301 में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई हैं कि मानसिक क्रूरता के कृत्यों को देखते हुए, न्यायालय को विवाहित जीवन को समग्र रूप से देखना चाहिए, न कि केवल कुछ अलग-थलग घटनाओं को देखना चाहिए।

61. इस प्रकार, हम पाते हैं कि विद्वान कुटुम्ब न्यायाधीश ने पक्षकारों के जीवन का विश्लेषण करने में एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर तथा प्रत्येक घटना को एक पृथक इकाई के रूप में मानकर गलती की है, जबकि वास्तव में यह पक्षकारों की वैवाहिक जीवन की यात्रा है, जो उनकी अनुकूलता, प्रगतिशीलता तथा विकास का निर्धारण करती है। हम पाते हैं कि यह दिखाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यह प्रत्यर्थी ही है, जिसने अपीलार्थी को अनिश्चितता के जीवन में धकेल दिया, जिसमें वैवाहिक जीवन में कोई समझौता तथा मानसिक शांति नहीं थी, जबकि उन्होनें 20 वर्ष एक साथ बिताए थे। **यह अपीलार्थी के लिए मानसिक पीड़ा का मामला है, जो उसे अधिनियम की धारा 13(1)(झ-क) के तहत क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद का हकदार बनाता है।**

अभित्यजन:

62. अपीलार्थी ने अभित्यजन के आधार पर भी विवाह-विच्छेद की मांग की है। जैसा कि *बिपिनचंद्र जय सिंहबाई शाह बनाम प्रभावती*, एआईआर 1957 एससी 176 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित एवं स्पष्ट किया गया है, अभित्यजन के आधार को साबित करने हेतु आवश्यक तत्व *अभित्यजन का तथ्य* अर्थात् पृथक्करण का तथ्य एवं अभित्यजन का आशय अर्थात् प्रत्यर्थी को स्थायी अवधि हेतु छोड़ने का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, अभित्यजन बिना किसी उचित कारण के तथा याचिका दायर करने से दो साल से अधिक की अवधि के लिए होना चाहिए।

63. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 10.06.2011 को वैवाहिक घर का त्याग करने के लगभग साढ़े तीन साल बाद दिनांक 28.11.2014 को याचिका दायर की गई है तथा दोनों पक्षकारों द्वारा पृथक्करण के कृत्यों को स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी ने उपरोक्त उल्लिखित दिनांक 10.06.2011 की घटना को समझाया है, जो पुनः अभित्यजन एवं वैवाहिक संबंध के अस्वीकृति उद्देश्य को दर्शाता है।

64. इसके अलावा, अभिलेख के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि प्रत्यर्थी का वैवाहिक संबंध में बने रहने का कोई उद्देश्य नहीं था। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा वैवाहिक घर लौटने हेतु कोई गंभीर सुलह के प्रयास नहीं किए गए थे। अपीलार्थी द्वारा पारिवारिक मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा से प्रयास किए गए, लेकिन निश्चित रूप से सफल नहीं हुए थे। ***अतः यह सिद्ध होता है कि***

प्रत्यर्थी ने बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थी को त्याग दिया है तथा वह त्याग के आधार पर विवाह-विच्छेद का हकदार है।

<u>निष्कर्षः</u>

65. हम, अपनी उपरोक्त विस्तृत चर्चा से, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विद्वान कुटुम्ब न्यायाधीश ने विवाह-विच्छेद याचिका को खारिज करने में त्रुटि की है। ***हम दिनांक 11.04.2022 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं तथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(झ-क) एवं 13(1)(झ-ख) के तहत क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की अनुमति प्रदान करते हैं।***

66. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन(ओं) का भी निपटान किया जाता हैं।

67. तदनुसार डिक्री पत्र तैयार किया जाए।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

2 अप्रैल, 2024/आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*